यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-III, राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-III, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष तड़ियाल, ले.प. एवं श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.01.2019 से 07.02.2019 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण, ले.प. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव व श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.02.2018 से 19.02.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिडकुल क्षेत्र एवं काशीपुर बाईया रोड के बायो दिशा का क्षेत्र**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	21742.73
2016-17	20064.53
2017-18	15004.89

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-III, राज्य कर, रूद्रपुर** आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-1 कम बिक्री दर्शाय जाने के फलस्वरूप कर एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 67.67 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्यके भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गतकर आरोपितकिया जाएगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीयराज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गयाकि व्यापारी सर्वश्री सूर्योदय टेक्सटाइल्स प्रा० लि0 टिन - 05006388057 पोलिस्टर यार्न का निर्माण एवं बिक्रीहेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 170 आयात फार्म का प्रयोग करके ₹ 26661992/- का आयात किया गया था। जिसमें ₹ 17581955/-जॉब बर्क हेतु आयातित माल शामिल होना प्रदर्शित किया गया था। व्यापारी द्वारा खरीद बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी। जो इस प्रकार है:

वर्ष 2014-15

प्रारम्भिक शेष	63928565
प्रांतीय खरीद	56540647
आयातित खरीद	8818774
जॉब वर्क हेतु आयातित खरीद	17581955
निर्माण व्यय	31480421
लाभ	1405064
योग	**179755426**
बिक्री	77227369
जॉब वर्क	20133034
अंतिम शेष	989212
योग	**98349615**
कम प्रदर्शित बिक्री	**81405811**

इस प्रकार कम प्रदर्शित बिक्री ₹81405811/- को प्रांतीय बिक्री मानकर न्यूनतम 5% की दर से ₹ 4070291/- कर आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं किया जा सका। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज ₹ 2696567/-(फर0 2018 तक) भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत:उक्त प्रकरणकर का अनारोपण ₹ 40.70 लाख एवं ब्याज ₹26.97 लाख शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2 (अ)

प्रस्तर2- अर्थदंड का अनारोपण ₹ 66.03 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों केअधीन देयकर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के दिनांक 31-03-2015 के अधिसूचना 102/XXXVI/2015/22(1) 2015 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देयकर का कम से कम 05 प्रतिशत (यदि विलम्ब 1 माह है) एवं 20 प्रतिशत(यदि विलम्ब एक माह से ज्यादा एवं कर की धनराशी 20 हज़ार से ज्यादा है) अर्थदण्डआरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) तृतीय राज्य कर कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹**66230280/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की दर से **₹ 66,02,909**/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में विभाग को इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया की जांचोपरांत कार्यवाई की जाएगी |

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(₹)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1.	सर्वश्री अग्रवाल मोटर्स पंतनगर टिन न. 05011569215	2015-16	1426222(अप्रैल) 1385865(मई) 826277(जून) 1094818(जुलाई) 920030(अगस्त) 1162161(अक्टूबर) 2226636(नवम्बर) 1137777(जनवरी) 1187886(फ़रवरी)	20-05-15 20-06-15 20-07-15 20-08-15 20-09-15 20-11-15 20-12-15 20-02-16 20-03-16	05-08-15 05-08-15 06-08-15 14-09-15 07-10-15 23-11-15 22-12-15 26-02-16 28-03-16	285244 277172 41314 54741 46002 58108 111332 56889 59394
2.	सर्व श्रीग्लोब प्रिसिशन पंतनगर टिन न. 05009713314	2012-13	5711960(अप्रैल) 5860797(मई) 3165675(जून) 883851(जुलाई) 1671830(अगस्त) 4467622(सितम्बर) 5491198(अक्टूबर) 2682500(नवम्बर) 3615000(दिसम्बर) 2693500(जनवरी	25-05-12 25-06-12 25-07-12 25-08-12 25-08-12 25-09-12 25-11-12 25-12-12 25-01-13 25-02-13	26-05-12 26-06-12 26-07-12 27-08-12 26-08-12 26-09-12 27-11-12 27-12-12 30-01-13 26-02-13	571196 586080 316567 88385 167183 446762 549119 268250 361500 269350
3.	सर्व श्रीग्लोब प्रिसिशन पंतनगर टिन न. 05009713314	2013-14	6080000(अप्रैल) 3287000(जुलाई) 3911500(अगस्त) 1205000(नवम्बर) 2914500(फ़रवरी)	25/05/2013 25/08/2013 25/09/2013 25/12/2013 25/03/2014	27/05/2013 26/08/2013 27/09/2013 27/12/2013 26/03/2014	608000 328700 391150 120500 291450
4.	सर्व श्री ओमेगा हिल्स प्राइवेट लिमिटेड पंतनगर टिन न. 05009707591	2104-15	90300(अप्रैल) 200000(मई) 21000(जून) 200000(जून) 200000(जुलाई) 130000(जुलाई) 180000(सितम्बर) 140000(मार्च) 351000(मार्च) 400000(दिसम्बर)	20/05/2014 20/06/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/10/2014 20/04/2015 20/04/2015 20/01/2015	22/05/2014 25/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/08/2014 25/08/2014 21/10/2014 22/04/2015 22/04/2015 23/01/2015	9030 20000 2100 20000 20000 13000 18000 14000 35100 40000
5.	सर्व श्री सुप्रीमट्रेब्स पंतनगर टिन न. 05006532102	2013-14	572906(मई)	25-06-14	28-06-13	57291
					कुलयोग	6602909/-

भाग 2 (क)

प्रस्तर3- प्रपत्र एफ प्रस्तुत न करने के कारण कर एवं ब्याज का अनारोपण ₹ 50.01 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीयराज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया किसर्वश्री डी0 पी0 गर्ग संस एण्ड कम्पनी टिन-05008135221 व्यापार हिन्जेज के निर्माण व बिक्रीहेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 114 आयात फार्म का प्रयोग करके ₹ 85871054/- का आयात किया गया था। जिसमें ₹ 50481263/- जॉब बर्क हेतु आयातित माल शामिल होना प्रदर्शित किया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 24035784/- का स्टॉक ट्रांसफर किया गया था। कर निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि **"जॉब वर्क के उपरान्त प्रान्त बाहर माल भेजे जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र-एफ दाखिल किए गए है"।**

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा ₹ 74596582/- (50560798 +24035784)जॉब वर्क एवं स्टॉक ट्रांसफर के सापेक्ष ₹ 34108353/- (3416424+20255536+10436393) के फार्म पत्रावली में प्रस्तुत किए गए थे। किन्तु व्यापारी को जॉब बर्क के समस्त फार्म प्रस्तुत न करने पर भी पूर्ण लाभ दिया गया था।

इस प्रकार ₹ 40488199/- (74596582- 34108353) के फार्म प्रस्तुत न करने के कारण प्रांतीय बिक्री मानकर न्यूनतम 5% की दर से ₹ 2024410/- कर आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं किया जा सका। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक की दर ब्याज ₹1012205/-(जनवरी 2019 तक) भी देय है।

(2)व्यापारी सर्वश्री सूर्योदय टेक्सटाइल्स प्रा० लि0टिन -05006388057 पोलिस्टर यार्न का निर्माण एवं बिक्रीहेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 170 आयात फार्म का प्रयोग करके ₹ 26661992/- का आयात किया गया था। जिसमें ₹ 17581955/- जॉब बर्क हेतु आयातित माल शामिल होना प्रदर्शित किया गया था।इसके सापेक्ष ₹ 20133034/-का जॉब वर्क करके माल भेजा गया था। कर निर्धारण आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया कि **"जॉब वर्क के उपरान्त प्रान्त बाहर माल भेजे जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र एफ दाखिल किए गए है"।** इसका पूर्ण लाभ व्यापारी को दिया गया था। जबकि पत्रावली में कोई फार्म "एफ" नहीं पाया गया था।

इस प्रकार ₹ 20133034/- के फार्म प्रस्तुत न करने के कारण प्रांतीय बिक्री मानकर न्यूनतम 5% की दर से ₹ 1006652/- कर आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं किया जा सका। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक की दर ब्याज ₹ 515909/- (जनवरी 2019 तक) देय है।

अत: उक्त दो व्यापारी द्वारा कर ₹ 3031062/- (2024410 +1006652) एवं ब्याज ₹ 1528114/-(1012205+515909) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर प्रथम प्रकरण में बताया गया कि व्यापारी द्वारा ₹ 10436393/-के फार्म "एफ" दाखिल किए गये है। वह service charge के है, माल के मूल्य के नहीं है। आयातित समस्त माल 64 फार्म- 38 (उ0 प्र0) के माध्यम से प्रेषित किया गया था। फार्म एफ दाखिल करना माल का पारेषण का मात्र साक्ष्य है। VAT Act/Rules 2005 में जॉब वर्क हेतु माल का पारेषण के लिए फार्म एफ की अनिवार्यता नहीं है। दूसरे प्रकरण में जाँचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल 10436393 के फार्म F उपलब्ध होना बताया गया है जबकि कुल स्टाक ट्रान्सफर 50560798 का किया गया है। अतः उक्त प्रकरणों में व्यापारियों द्वरा उक्त केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 (क) के अंतर्गत प्रपत्र एफ प्रस्तुत न करने पर कर आरोपित किया जाएगा।

अत:उक्त कर का अनारोपण 30.31 लाख एवं ब्याज 19.70 लाख अर्थात कुल 50.01 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर01 - प्रमाण पत्र 11 के सापेक्ष अनधिकृत खरीद फलस्वरूपअर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 16.65 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे समव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता। इसी अधिनियम की धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार कोई झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अंतर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की 3 गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीयराज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया किसर्वश्रीक्वायड एक्सपोर्ट टिन 05007674859 dies,tools,jigs,fixtures & All kind of Hardware के निर्माण व बिक्री हेतुपंजीकृतहै।व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 34 फार्म "11" विगत व संगत वर्ष के लिए निर्गत किए गए थे। जिसमें 28 फार्म का विवरण वस्तुओं के नाम सहित दिया गया था। शेष फार्म का विवरण पत्रावली में वस्तुओं के नाम रहित पाया गया । प्रस्तुत विवरण में निम्न ऐसी खरीद के लिए प्रपत्र "11" जारी किया गया था इस खरीद हेतु व्यापारीमान्यता प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था। जिसका विवरण इस प्रकार है :-

वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर की दर	कर की धनराशि
Machinery Goods	172196	13.5%	23246
Electric Goods	19257	13.5%	2600
Epoxide Resin	3042083	13.5%	410681
योग	3233536	13.5%	436527

इस प्रकार उक्त व्यापारी द्वारा की गयी खरीद ₹3233536/-मान्यता प्रमाण पत्र से आच्छादित न होने के कारण उक्त नियमानुसार ₹3233536/-पर अंतरीय कर 11.5% (13.5%-2%) की दर से ₹371857/- कर एवं माल के मूल्य का 40% अर्थदण्ड ₹1293414/- आरोपणीय था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा 1665271/-(371857+1293414) जमा किया जाना अपेक्षित है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 1994-95 में निर्माता व्यापारियों जो मान्यता प्रमाण पत्र धारक है, को यह सुविधा उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी थी कि निर्माताव्यापारी जिस वस्तु का निर्माण करता है,उसके निर्माण में प्रयुक्त समस्त माल रियायती दर से खरीद सकता है। वह वस्तु उसके मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित है या नहीं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदान की गयी सुविधा का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

अत:अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 16.65 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर2- मिथ्या प्रमाण पत्र "सी" देने केफलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹7.76 लाख ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) केअनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीयराज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया किसर्वश्रीक्वायड एक्सपोर्ट टिन 05007674859 dies,tools,jigs,fixtures&All kind of Hardware के निर्माण व बिक्री हेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 79 फार्म"सी" विगत व संगत वर्ष के लिए निर्गत किए गए थे।17 फार्म एवं E फार्म का विवरण वस्तुओं के नाम सहित दिया गया थे। शेष फार्म का विवरण पत्रावली में प्रस्तुत (वस्तुओं के नाम रहित) पाया गया था।

प्रस्तुत विवरण में निम्न ऐसी खरीद के लिएप्रपत्र"सी" जारी किया गया था जिसकेलिए व्यापारी केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था। जिसका विवरण इस प्रकार था :-

वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर की दर	कर की धनराशि
MSWIRE	5600243	5%	280012
MS SILT	2057132	5%	102857
C R STRIP	2686483	5%	134324
	10343858	5%	517193

उक्तानुसार व्यापारी दवारा की गयी अनाधिकृत केन्द्रीय खरीद ₹10147858/- देय कर ₹517193/- का डेढ़ गुना ₹ 775790/-अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं हो सका।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में फेरस व नॉनफेरस मेटेरियल लिखा है। फेरस का शाब्दिक अर्थ लोहा होता है व्यापारी द्वारा फार्म सी के विरुद्ध आयातित समस्त माल लोहे का है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा समस्त माल प्रपत्र सी से आच्छादित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी के केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में फेरस व नॉनफेरस मेटेरियल न लिखकर Ferros& Non Ferrosflats,rounds,plates,sheets&rolsetcलिखा है, अर्थात प्रयुक्त होने वाली समस्त

वस्तुओं के नाम लिखे हुये है। इससे भिन्न वस्तुओं की खरीद प्रपत्र सी के सापेक्ष अनाधिकृत मानी जाएगी।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 7.76 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर4- आई. टी. सी. का अधिक लाभ लिया जाना ₹11.22 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टेक्स का लाभ व्यापारी द्वारा किए गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत ब्योहारी द्वारा विक्रेता ब्योहारी को भुगतान किया गयाहै, मिलेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीय राज्य कर रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सर्वश्रीकपिल सेल्स आदर्श कालोनी टिन -05012259467 कर निर्धारण वर्ष 2015-16स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत वाद का निस्तारण दिनांकः20.09.2017 को किया गया था। व्यापारी 5% एवं 13.5% कर की दर की वस्तुओं का व्यापारी है। व्यापारी का सकल क्रय-विक्रय ₹133219202/- था। व्यापारी द्वारा 5% एवं 13.5% कर की दर की वस्तुओं की खरीद-बिक्री का व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया गया था, व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में खरीद पर ITC निम्नानुसार क्लेम की गयी थी। व्यापारी के तिमाही विवरणी के अनुसार व्यापार खाता इस प्रकार था:-

विवरणी	खरीद	आई टी सी	बिक्री	देय कर	ITC C/F
2014-15					शून्य
प्रथम तिमाही	31093689	3959627	31442143	3959220	406
द्व्तीय तिमाही	32329060	4066690	33093565	4189392	105288
तृतीय तिमाही	35288397	4430014	36343708	4602358	169084
चतुर्थ तिमाही	34508106	4251568	29262296	3578925	**841727**
योग	133219252	**16707899**	130141712	**16329895**	

पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्तानुसार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में आई टी सी ₹ 841727/- केरीफ़ोर्वड किया गया था। जबकि व्यापारी द्वारा ₹ 378004/-(16707899 -16329895) किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 463723/-(841727-378004)अधिक केरीफ़ोर्वड किया गया था।

(2) व्यापारी सर्वश्री रुद्रा टेलीकोम टिन - 05008628854 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 वाद का निस्तारण स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत दिनांक28.09.2017 को किया गया था।व्यापारी 5% एवं 13.5% कर की दर की वस्तुओं का व्यापारी है।व्यापारी का सकल क्रय-विक्रय ₹38572578/-था। व्यापारी द्वारा वस्तुओं की खरीद-बिक्री का व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया गया था,जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रा0 अवशेष वअंतिमअवशेष कर की दर के अनुसार कितना था। व्यापारी के तिमाही विवरणी के अनुसार खरीद बिक्री इस प्रकार थी:-

विवरणी	खरीद	आई टी सी	बिक्री	देय कर	ITC C/F
2015 -16	--	-	-	-	667665 (2014-15)
प्रथम तिमाही	8462885	427439	9155284	461390	633714
द्व्तीय तिमाही	9044315	455256	9198222	466931	622039
तृतीय तिमाही	11072727	553861	14752915	737864	438036
चतुर्थ तिमाही	9992651	502093	9973647	501113	439015
	38572578	1938649	43080068	2167298	

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी के वर्ष 2014-15 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30-07-2018 के अनुसार ₹9186/-आई टी सी करीफ़ोर्वड की गयी थी। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में विगत वर्ष की अवशेष ITC ₹ 667665/- क्लेम करते हुये ₹ 439015/-अवशेष ITC वर्ष 2016-17 के लिए अग्रेषित की गयी थी।

उक्तानुसार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में विगत वर्ष की आई टी सी₹658479/- (667665-9186) अधिक क्लेम की गयी थी।

इस प्रकार उक्त दो व्यापारी द्वारा ₹ 1122202/-(463723+658479) अधिकआई. टी. सी. का लाभ लिया गया था।

विभाग के सज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि स्वत: कर निर्धारण योजना का उद्देश्य व्यापारियों को विभागीय प्रक्रियाओं में सहूलियत देना है। एवं दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियों का आधार पर वाद का निस्तारण किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियों की जांच करके वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त आई. टी. सी. का अधिक लाभ **₹** 11.22 लाख लिये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर3- प्रयुक्त प्रपत्र "सी" एवं प्रपत्र "11" की सूची वस्तुओं के नाम अंकित किए विना स्वीकार किया जाना।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीयराज्य कररुद्रपुर केअभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग में पंजीकृत अधिकांश व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र "सी" एवं प्रपत्र "11" की सूची वस्तुओं के नाम अंकित किए विना ही प्रस्तुत की गयी थी। व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र "सी" एवं प्रपत्र "11" की सूची (वस्तुओं के नाम अंकित रहित) विभाग द्वारा स्वीकार करते हुए कर निर्धारण किया गया था। उदाहरणार्थ निम्न प्रकरण है:-

(1) सर्वश्री डी0 पी0 गर्ग संस एण्ड कम्पनी dies,tools,jigs,fixtures&All kind of Hardware के निर्माण व बिक्रीहेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में आयातित खरीद हेतु 42 फार्म “सी” एवं रियायती दर से प्रांतीय खरीद हेतु “11”प्रपत्र 26 प्रयुक्त किए गए थे। व्यापारी द्वारा प्रपत्र “सी” की सूची में वस्तुओं के नाम अंकित नहीं किए गए थे जिससे यह जांच करना असंभव है कि व्यापारी वह वस्तुयें क्रय करने के लिए अधिकृत है अथवा नहीं।

(2) सर्वश्री क्वायड एक्सपोर्ट टिन 05007674859 dies,tools,jigs,fixtures&All kind of Hardware के निर्माण व बिक्री हेतुपंजीकृतहै। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 79 फार्म"सी" विगत व संगत वर्ष के लिए निर्गत किए गए थे।17 फार्म का विवरण वस्तुओं के नाम सहित दिया गया थे। शेष फार्म का विवरण पत्रावली में प्रस्तुत (वस्तुओं के नाम रहित) पाया गया था।

(3)व्यापारी सर्वश्री क्वायड एक्सपोर्ट टिन 05007674859द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 34 फार्म "11" विगत व संगत वर्ष के लिए निर्गत किए गए थे। जिसमें 28 फार्म का विवरण वस्तुओं के नाम सहित दिया गया था। शेष फार्म का विवरण पत्रावली मेंवस्तुओंके नाम रहित पाया गया ।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया है।

अत: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2 (ब)

प्रस्तर4- अनाधिकृत ITC का लाभ दिए जाने पर अर्थदंड का अनारोपण ₹ 2.92 लाख |

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखंड राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण पत्र रखता है,से क्रय किया गया हो |

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तोपांच हजाररुपये या दवाकृत धनराशि कीतीन गुनाधनराशि, जो भी अधिक हो;

कार्यालय उपायुक्त(क०नि०) खण्ड-03, राज्य कर, रुद्रपुर की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सर्वश्रीहोटल रुद्रा कांटिनेंटल, रुद्रपुर टिन न०-05004453683 के द्वारा व्यापारी सर्वश्री रुद्रपुर गैस सर्विस, रुद्रपुर टिन न०-0500310615 9से दिनांक:03/04/2013 से18/03/2014 जो खरीद से सम्बन्धित इनपुटटैक्सकालाभ लिया गया है वह अनुमन्य नहीं था, क्योकि उपरोक्त व्यापारी का पंजीयन नंबर M/S KUMAN MANDAL VIKAS NIGAM हल्द्वानी टिन न०-05003106159 के नाम सेपंजीयन है, जिस पर रु 97230.74/- काइनपुटटैक्सकालाभ लिया गया है जो अनुमन्य नहीं था |

अत: उपरोक्त व्यापारी पर रु 97230.74 X3 = ₹291692.22/- काअर्थदंड लगाया जाना चाहिए था|
उपरोक्त के सम्बन्ध में विभाग द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया की त्रुटिवश गलत टिन न0 अंकित किया गया है उत्तर मान्य मान्य नहीं है क्योकि इसके सम्बन्ध में विभाग ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या
RS/CT-155/2017-18	-	2,3,4	प्रस्तुत

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-III, राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री निशिकान्त सिंह	उपायुक्त
2	श्री रणवीर सिंह	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-III, राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र